UPRB010031502026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह (एच जे एस)–UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1351/2026

अखिलेश वर्मा उर्फ पूरी उर्फ अखिल आयु लगभग 19 वर्ष पुत्र धर्मराज वर्मा, निवासी पूरे लाला, मजरे परैया नमकसार, थाना नसीराबाद, जिा रायबरेली।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....विपक्षी/अभियोगी।

29–05–2026

आवेदक–अभियुक्त अखिलेश वर्मा उर्फ पूरी उर्फ अखिल की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र **अन्तर्गत अपराध संख्या 61/2026, धारा–137 (2),87 भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना नसीराबाद, जिला रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती सरिता द्वारा द्वारा दिनाँक 05–04–2026 समय 12:44 बजे की घटना के बाबत दिनाँक 06–04–206 को समय 12:44 बजे सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादिनी मुकदमा की पुत्री महक को आवेदक/अभियुक्त सह–अभियुक्त दीपक के साथ भगा ले गया।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या व केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रस्तुत प्रकरण में रंजिशन वादी मुकदमा द्वारा फंसा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त बालिग है तथा अपनी सहमति से गयी है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नही है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने या गवाहों को बहकाने की कोई सम्भावना नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनाँक 19–04–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा, वह अपनी विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है, जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अभियोजन कथानक व आवेदक–अभियुक्त की ओर से लिये गये बचाव के अनुसार वादिनी द्वारा अपनी पुत्री महक को आवेदक/अभियुक्त द्वारा दिनाँक 05–04–2026 को शाम चार बजे भगा ले जाने की बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 61/2026, धारा–137 (2),87 भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना नसीराबाद, जिला रायबरेली, में आवेदक/अभियुक्त व एक अन्य के विरूद्ध दर्ज करायी गयी। पीड़िता के वापस आने पर सम्बन्धित थाने पर दिये गये प्रार्थनापत्र, व धारा–180,183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दिये गये बयानों में भिन्न–भिन्न कथन किये गये हैं।, परन्तु अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है। थाने पर दिये गये प्रार्थनापत्र में अपनी मम्मी द्वारा फोन बन्द कर देने तथा मारने पीटने के कारण घर से बिना बताये चले जाने व रिपोर्ट की सूचना मिलने पर वापस आना बताया गया है तथा धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दिये गये बयानों में पहले लखनऊ, फिर लखनऊ से प्रयागराज, वहां से घर लौट आना और आवेदक/अभियुक्त पर कोई आपराधिक कृत्य किये जाने का आरोप नही लगाया गया है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के दृष्टिगत आवेदक–अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार पाया जाता है। तदानुसार आवेदक–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक–अभियुक्त **अखिलेश वर्मा उर्फ पूरी उर्फ अखिल** को **अपराध संख्या 61/2026, अन्तर्गत धारा–137 (2),87 भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना नसीराबाद, जिला रायबरेली के मामले में,** उसके द्वारा **पचास हजार रूपये का** व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के प्रत्येक दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित शर्त पर,जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा ।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा–

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्ति

युक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अमित पाल सिंह)
यू०पी०–05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
29–05–2026

Sarita

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.05.29 13:16:28 IST
Reason: Document Owner order
Location: District and Sessions Court Raebareli